


क्रमांक	आज्ञा पत्र
28/5/24	<p>पत्रावली पेश। अपील अपील को पूर्व पेशी पर हस्ताक्षर दी गई थी कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रैस्पोंडेंट्स के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जायेगी। आज दिनांक तक अपील को रैस्पोंडेंट्स के रजिस्टर्ड नोटिस पेश नहीं किये गये हैं इससे स्पष्ट है कि अपील को अपील के प्रति गम्भीर नहीं है। फलस्वरूप अपील अपील आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज की जाती है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फौरन शुभार होकर स्थान से कम लेकर बाद तारीख तकमिल दाखिल दफ्तर को।</p> <p style="text-align: right;">  </p> <p style="text-align: right;"> अधीनस्थ अधिकारी एवं पदेन राजस्व अधिकारी सीकर (केम्प सुन्कर) </p>